



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248441  
CG-DL-E-31082023-248441

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]  
No. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 638(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद)भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग, पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -

(क) पोस्टमैन के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 1 के सामने,

I. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

“(i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10<sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12<sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।

(iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान।

(iv) उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए:

परन्तु यह कि दिव्यांगजनों को इस प्रकार के लाइसेंसधारक होने संबंधी शर्त से छूट दी जाएगी।

टिप्पण 1.- डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण 2.- संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, नियुक्ति के पश्चात ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय की गई रीति से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूरी करने की पूर्व-शर्त होगी :

परन्तु यह कि वह उम्मीदवार जिसने 10<sup>वीं</sup> या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह और कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

टिप्पण 3.- जिस उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है, वह भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा, तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के समय, दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक नहीं हैं, उनको ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने तक या नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, आवधिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी और ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने पर या पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, उसके वेतन को उत्तरव्यापी प्रभाव से वेतन के उस स्तर पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जिस स्तर पर वह आवधिक वेतन वृद्धि नहीं रोके जाने पर पहुँच चुका होता और इस बीच की अवधि के लिए, वेतन की किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।";

II. स्तंभ (9) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"सीधी भर्ती के मामले में: दो वर्ष और डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और स्तंभ (7) के अधीन उल्लिखित स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।";

III. स्तंभ (10) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(i) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहुकार्य कर्मचारी वृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर, इन रिक्तियों को नीचे (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा;

(ii) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिन डाक सेवकों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पद पर नियमित रूप से पांच साल तक कार्य किया हो, ऐसा न होने पर, ये पद डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित की जाने वाली योजना के अनुसार खुली प्रतियोगिता (ओपन मार्केट) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 2.- केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा और खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी प्रतियोगी परीक्षा की योजना, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 3.- डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।";

IV. स्तंभ (11) के तहत, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :

(i) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; और

(ii) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से प्रदान की गई सेवा शामिल है।

टिप्पण 1.- जहां किसी कनिष्ठ जिसने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है, वहाँ उसके ज्येष्ठ भी ऐसी परीक्षा के लिए पात्र होंगे:

परन्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वे वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रहे हों;

परन्तु यह और कि उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई ऐसी सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अवधि के आधे या उससे अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उसने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.- टिप्पण 1 की शर्त ऐसे कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जिसने डाक नियम पुस्तिका खण्ड-IV के नियम 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 3.- किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रासंगिक वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उस स्तर के आधार पर, जिसमें वह अधिकारी पात्रता के संबंध में निर्धारित तारीख को समयबद्ध एक प्रोन्नति, द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार वेतन आहरित कर रहा हो।";

(ख) मेल गार्ड पद से संबंधित क्रमांक 2 के सामने,

I. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10<sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12<sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान; और

(iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान।

टिप्पण 1.- डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण 2.- संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, नियुक्ति के पश्चात ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय की गई रीति से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूरी करने की पूर्व-शर्त होगी :

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसने 10<sup>वीं</sup> या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी:

परन्तु यह और कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।”;

II. स्तंभ (9) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“सीधी भर्ती के मामले में: दो वर्ष और डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और स्तंभ (7) के तहत उल्लिखित स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण की हो।”;

III. स्तंभ (10) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(i) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहु कार्य कर्मचारी वृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर, इन रिक्तियों को नीचे (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा ;

(ii) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिन डाक सेवकों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पद पर नियमित रूप से पांच साल तक कार्य किया हो, ऐसा न होने पर, ये पद डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित की जाने वाली योजना के अनुसार खुली प्रतियोगिता (ओपन मार्केट) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 2.- केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा और खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 3.- डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से, एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के

अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।”;

IV. स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :

(i) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; और

(ii) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से प्रदान की गई सेवा शामिल है।

टिप्पण 1.- जहां किसी कनिष्ठ जिसने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है, वहाँ उसके ज्येष्ठ भी इसके लिए पात्र होंगे:

परन्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ, दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वे वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रहे हों;

परन्तु यह और कि उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई ऐसी सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अवधि के आधे या उससे अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उसने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.- टिप्पण 1 की शर्त ऐसे कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जिसने डाक नियम पुस्तिका खण्ड- IV के नियम 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 3.- किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रासंगिक वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उस स्तर के आधार पर, जिसमें वह अधिकारी पात्रता के संबंध में निर्धारित तारीख को, समयबद्ध एक प्रोन्नति, द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार वेतन आहरित कर रहा हो।”।

[फा. सं. डब्ल्यू-03/3/2022-एसपीएन-1]

जगदीप गुप्ता, उप महानिदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 20 सितंबर, 2018 के सा.का.नि. संख्या 899(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात 05 मार्च, 2020 के सा.का.नि. संख्या 157(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2023

**G.S.R. 638(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018, in the Schedule,—

(a) against serial number 1 relating to the post of Postman, -

I. under column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) 10<sup>th</sup> standard pass from a recognized Board for the persons who are working as Gramin Dak Sevak in the Department of Posts and 12<sup>th</sup> standard pass from a recognized Board for all others.

(ii) Knowledge of working on Computer.

(iii) Knowledge of local language of the concerned Postal Circle or Division.

(iv) Possessing a valid license to drive two-wheeler or light motor vehicle:

Provided that Persons with Benchmark Disability shall be exempted from the possession of such license.

Note 1.- Local language of a Postal Circle or Division shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.

Note 2.- A person not possessing the knowledge of local language of the Postal Circle or Division concerned shall also be eligible for appointment, however, such person after appointment shall pass local language test to be conducted in the manner as may be decided by the Postal Circle concerned and passing of such local language test shall be a pre-condition for completion of probation:

Provided that a person who has passed local language of the Postal Circle or Division concerned as one of the subjects in 10<sup>th</sup> standard or above shall be exempted from such local language test:

Provided further that Gramin Dak Sevak shall be exempted from such local language test.

Note 3.- A person not possessing a valid license to drive two-wheeler or light motor vehicle shall also be eligible for appointment, however, such person not having valid license to drive two-wheeler or light motor vehicle at the time of appointment shall not earn periodical increment in pay till production of such license or for a period of five years from the date of appointment, whichever is earlier and after production of such license or expiry of such five years period, pay shall be restored prospectively to the level pay would have reached had the periodical increment in pay was not withheld and no arrears of pay shall be paid for the intervening period.”;

II. under column (9), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“For Direct Recruits: Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts and passing of local language test as mentioned under column (7).”;

III. under column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) 50 per cent by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Postal Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii) below;

(ii) 50 per cent by direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks of the recruiting Postal Circle, who have worked regularly for five years in that capacity, as on the 1<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which by direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time.

Note 1.- The scheme for Limited Departmental Competitive Examination for promotion shall be as per the administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 2.-The scheme for competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks and competitive examination for direct recruitment from open market shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 3.- Department of Posts, through administrative instructions, may allow Gramin Dak Sevaks of one or more Postal Circles, who are otherwise eligible under these rules, for appointment in Delhi Postal Circle and

such appointment shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Department of Posts from time to time.”;

IV. under column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination:

(i) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with three years regular service in the grade as on the 1<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time; and

(ii) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with total regular service of five years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks as on the 1<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time.

Note 1.- Where junior who has completed qualifying service is eligible for Limited Departmental Competitive Examination or Competitive Examination their senior will also be eligible for such examination:

Provided that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis:

Provided further that senior is not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and has successfully completed probation period for promotion to the next higher grade.

Note 2.- The condition in Note 1 shall not apply with reference to such junior official who has lost seniority after availing transfer under rule 38 of the Postal Manual Volume- IV.

Note 3.- Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in pay matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.”;

(b) against serial number 2 relating to the post of Mail Guard, -

I. under column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) 10<sup>th</sup> standard pass from a recognized Board for the persons who are working as Gramin Dak Sevak in the Department of Posts and 12<sup>th</sup> standard pass from a recognised Board for all others.

(ii) Knowledge of working on Computer.

(iii) Knowledge of local language of the concerned Postal Circle or Division.

Note 1.- Local language of a Postal Circle or Division shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.

Note 2.- A person not possessing the knowledge of local language of the Postal Circle or Division concerned shall also be eligible for appointment, however, such person after appointment shall pass local language test to be conducted in the manner as may be decided by the Postal Circle concerned and passing of such local language test shall be a pre-condition for completion of probation:

Provided that a person who has passed local language of the Postal Circle or Division concerned as one of the subjects in 10<sup>th</sup> standard or above shall be exempted from such local language test:

Provided further that Gramin Dak Sevak shall be exempted from such local language test.”;

II. under column (9), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“For Direct Recruits: Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts and passing of local language test as mentioned under column (7).”;

III. under column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) 50 per cent by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Postal Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii) below;

(ii) 50 per cent by direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks of the recruiting Postal Circle, who have worked regularly for five years in that capacity, as on the 1<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which by direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time.

Note 1.- The scheme for Limited Departmental Competitive Examination for promotion shall be as per the administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 2.- The scheme for competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks and competitive examination for direct recruitment from open market shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 3.- Department of Posts, through administrative instructions, may allow Gramin Dak Sevaks of one or more Postal Circles, who are otherwise eligible under these rules, for appointment in Delhi Postal Circle and such appointment shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Department of Posts from time to time.”;

IV. under column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination:

(i) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with three years regular service in the grade as on the 1<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time; and

(ii) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with total regular service of five years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks as on the 1<sup>st</sup> day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time.

Note 1.- Where junior who has completed qualifying service is eligible for Limited Departmental Competitive Examination or Competitive Examination their senior will also be eligible for such examination:

Provided that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis:

Provided further that senior is not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and has successfully completed probation period for promotion to the next higher grade.

Note 2.- The condition in Note 1 shall not apply with reference to such junior official who has lost seniority after availing transfer under rule 38 of the Postal Manual Volume- IV.

Note 3.- Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in pay matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.”.

[F.No.W-03/3/2022-SPN-I]

JAGDEEP GUPTA, Dy. Director General

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 899(E), dated the 20<sup>th</sup> September, 2018 and subsequently amended *vide* G.S.R. 157(E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2020.